etc. This Scheme is deemed to have commenced from July 1, 1978. It is hoped that this Scheme will help new and small entrepreneurs to plan their projects in a systematic way, without straining their financial resources.

Chairmen of the Public Undertakings

4261. SHRI L. L. KAPOOR: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state the names of Chairmen of the public undertakihgs under his Ministry with the dates of their appointment and their qualifications and their previous assignments during the last ten years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): A statement is laid on the Table of the House [Placed in Library . See No. LT—3103/78].

I.A.F. Plane Crash at Leh

4262. SHRI AMAR ROY PRADHAN

DR. SAROJINI MAHISHI :

SHRI KACHARULAL HEMRAJ JAIN :

SHRI SHIV SAMPATI RAM :

SHRI YADVENDRA DUTT :

SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA :

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that IAF plane was crashed at Leh on the 19th November, 1978; and

(b) if so, what are the details in this regard and the steps taken by the Government thereto?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) (a) Yes, Sir.

(b) The I.A.F. aircraft was on a routine Air Maintenance flight from Chandigarh to Leh. When the aircraft was approaching the airfield for landing, it appears to have hit the ground and crashed. All the 77 persons on board, lost their lives on the spot. A Details were mentioned in a Statement made by the Defence minister on the 20th November, 1978.

A Court of Inquiry has been ordered into the accident, which has yet to conclude its findings.

हिन्दी अधिकारियों की भर्ती

4263. **श्री टी० एस० नेगी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी अधिकारियों की भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने 1969 में एक परीक्षा आयोजित की थी, यदि हां, तो उसके लिए क्या क्षैणिक योग्ताए निर्धारित की गई थीं; और

(ख) क्या उस परीक्षा का परीक्षा फल अब तक घोषित नहीं किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी पर्यवेक्षक तथा हिन्दी अधिकारी अथवा समकक्ष पदों के इण्टरव्यू के लिए बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की जांच करने में सहायता के रूप में संघ लोक सेवा आयोग ने 19 जुलाई, 1969 को एक लिखित परीक्षा ली थी। जिन उम्मीदवारों के पास (1) हिन्दी विषय के साथ स्नातक उपाधि थी, और जिन्हें (ii) 425/—रुपये या उससे अधिक के अधिकतम वेतनमान में विभिन्न मंत्रालयों / विभागों तथा सम्बद्ध कार्यालयों में केवल हिन्दी में पारिभाषिक कार्य और/अथवा हिन्दी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य का लगभग 5 वर्ष का अनुभव हिन्दी में स्नातकोत्तर की अर्हता रखने वालों के लिए 3 वर्ष था, वे परीक्षा में बैठने के पात्र थे।

(ख) परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया गया है क्योंकि जिन उम्मीदवारों को अपात्रता के आधार पर प रीक्षा में बठने की अनुमति नहीं दी गई, उनमें से कुछ ने प रीक्षा में न बैठने देने के विरुद्ध दिल्ली, उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर दी थी। 11 फरवरी, 1970